Order sheet [Contd]

case No- B.A-81/2018

Order or proceeding with signature of Presiding Officer

Signature of Parties or Pleaders where necessayry

01-03-18

03:00 P.M to 03:15 P.M. आवेदक / अभियुक्त सतीश उर्फ भूरा की ओर से श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ने शीघ्र सुनवाई का आवेदन पेश किया, जमानत आवेदन प्रस्तुत किये जाने का कारण देखते हुए प्रकरण आज सुनवाई में लिया गया।

आवेदक / अभियुक्त सतीश उर्फ भूरा की ओर से श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता ने जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं.प्रसं. का प्रस्तुत किया, नकल अभियोजन को दिलायी गयी।

अवेदक / अभियुक्त सतीश उर्फ भूरा द्वारा श्री बी.एस.यादव अधिवक्ता उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त लोक अभियोजक उपस्थित।

आवेदक सतीश उर्फ भूरा के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा—439 दं0प्र0सं0 के समर्थन में आवेदक सतीश उर्फ भूरा के मित्र विकास राजपूत द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया है। आवेदन एवं शपथपत्र में यह व्यक्त किया है कि आवेदक का यह प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 का है। इस प्रकृति का अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय, समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया गया है और न विचाराधीन है और न ही निरस्त किया गया है। ऐसा ही केस डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदक सतीश उर्फ भूरा के जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दं०प्र0सं० पर उभय पक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से यह व्यक्त किया गया है कि आवेदक ने किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं किया है। आवेदक को झूठा फंसाया गया है। उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक कई दिनों से न्यायिक निरोध में है। यदि आवेदक अधिक समय तक जेल में रहा तो उसका परिवार भूखों मर जाएगा। सहअभियुक्त अभिलाख की जमानत का आदेश माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर के द्वारा किया जा चुका है। आवेदक का मामला भी उसके समान है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन की ओर से घोर विरोध किया गया है और अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त किये जाने पर बल दिया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि 21.12.2015 को सुबह लगभग साढ़े नौ बजे फरियादी श्याम सुंदर सिंह काम की तलाश में अपनी मोटरसाइकिल टीवीएस स्टार स्पोर्ट क. एमपी30 एमसी 5259 से मालनपुर फैक्टी एरिया में गया था तथा फैक्टी में काम की चर्चा करने के बाद लौट रहा था मोटरसाइकिल खड़ी करके बगल किनारे लेटरिंग करने लगा था तभी दो लोग आये और मोटरसाइकिल की चाबी जैकिट व पर्स छुड़ा लिया एवं हिमांशु चौहान से बारह सौ रुपये एक माइक्रोमैक्स मोबाइल छीन लिया। फरियादी के पर्स में कुल बारह सौ रुपये आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ए.टी.एम. एवं रिजस्ट्रेशन की छायाप्रति थी। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी के द्वारा थाना मालनपुर में दर्ज करायी गयी। जिस पर से अपराध क. 210/2016 अंतर्गत धारा 392 भा.दं.सं. तथा 11 एवं 13 एम.पी.डी.वी.पी.के एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

दौराने अनुसंधान यह तथ्य सामने आये कि उक्त लूट अभियुक्त सतीश उर्फ भूरा तथा अभिलाख सिंह गुर्जर ने मिलकर की थी । मोटरसाइकिल भागीरथ मुदगल निवासी ग्राम रेहंटा थाना सिविल लाइन जिला मुरैना को बेंच दी थी। अभियुक्त सतीश उर्फ भूरा के आधिपत्य से एक नोकिया मोबाइल तथा अभिलाख गुर्जर के आधिपत्य से पांच सौ रुपये का नोट जप्त किये गये हैं।

म0प्र0 डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 की धारा–5(2) में यह स्पष्ट प्रावधान है कि यदि जमानत आवेदन का विरोध किया गया हो, तो आवेदन मंजूर नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार धारा—5(2) के तहत विरोध किए जाने पर जमानत मंजूर किए जाने का वर्जन है। अतः आवेदक सतीश उर्फ भूरा का जमानत आवेदन निरस्त किया जाता है।

प्रकरण पूर्ववत् अभियोजन साक्ष्य हेतु दिनांक 19.03.18 को पेश हो।

(मोहम्मद अजहर) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला भिण्ड

Order or proceeding with signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where
The state of the s	necessayry

A THAT I FREE TO SEE THE SECOND SECON

